मुकदमा संख्या :- 204/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख के जारी हुये
13.03.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। राज पैरोकार नायब तहसीलदार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब पूर्व में बंद किया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या 02 का नोटिस दिनांक 21.04.2010 को तामील होने के बावजूद लम्बे अंतराल के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया है अतः न्यायहित में अप्रार्थी संख्या 02 का जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी ने बहस अंतिम का निवेदन किया गया, जिस पर उभयपक्षकरान को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा विरोल में प्रार्थी के खातेदारी का कब्जा काश्तसुदा खेत खसरा संख्या 284, 286, 759/275, 285 जुमले रकबा 5.06 हैक्टेयर में आये हुए है, अप्रार्थी संख्या 01 मगसिंह प्रार्थी का सगा भाई है, तथा उसने उसके कब्जे की अधिकतर भूमि बैचान कर दी है, तथा उसके रहवास हेतु भूमि नहीं होने के कारण प्रार्थी ने छोटा भाई समझ कर उसे खसरा संख्या 284 रकबा 0.18 हैक्टैयर गैर मुमकिन ढाणी में से सरकारी 01 बीघा यानि 0.16 हैक्टेयर भूमि दिनांक 25.04.2008 में बैचान की, किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 ने मेरे साथ धोखा कर सरकारी 01 बीघा की बजाय रकबा 0.64 हैक्टेयर का बैचाननामा करवा दिया, जिसकी जानकारी होने पर उसे उलहाना दिया गया, किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 पुनः भूमि मेरे नाम करवाने से मुकर गया तथा जबरन कब्जा करने की ऐलानियां धमकी दी जबकी उक्त आराजी शेष रकबा 0.48 हैक्टेयर पर काश्त कब्जा आज भी मुझ प्रार्थी का है, अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ऐसी सुरत में अप्रार्थीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमावें। अप्रार्थीगण संख्या 01 के बिन्दूवार विद्वान अधिवक्ता ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 ने जरिये बैचान दस्तावेज के भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है तथा प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया गया है, जबकि बैचान दस्तावेज को कैन्सल करने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होकर माननीय सिविल न्यायालय को होने से प्रार्थी का मूल वाद व प्रार्थना–पत्र क्षैत्राधिकार के अभाव में चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज किया जावें। मैनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन् व अवलोकन किया गया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व सबूतों के आधार प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के तीनों कानूनी बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **:– आदेश :–** परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के विरूद्व मौजा विरोल के खेत खसरा संख्या 284 रकबा 0.18 हैक्टेयर तथा खेत खसरा संख्या 286 रकबा 4.62 हैक्टैयर बाबत् इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उपरोक्त आराजी के राजस्व रेकॅर्ड की मूल वाद के ताफैसला (निस्तारण) तक यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसलशुदा मूल वाद के साथ नत्थी की गई। (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) सांचौर सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pra
Date: 2024.03.21 14:4
Reason: SelfAttested